सामयिकी

यू. पी. ए. सरकार द्वारा पोटा के स्थान पर नया आतंकवाद-विरोधी अध्यादेश लाने का एलान

लुटेरों की नयी मैनेजिंग कमेटी भी जनशक्ति से भयाक्रान्त

● प्रसेन

तमाम धर्मनिरपेक्ष और जनवादी बुद्धिजीवियों में उस समय खुशी की लहर दौड़ गयी थी जब इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में वामपंथी दलों और तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के **संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)** सरकार का गठन हुआ। इसमें से अधिकांश ऐसे थे जो कांग्रेस और संसदीय वामपंथी दलों को फरिश्तों की पार्टी नहीं मानते हैं। लेकिन उनका तर्क था कि फिलहाल साम्प्रदायिक फासीवादी खतरे को टालने के लिए 'कम शैतान' (लेसर इविल) का चुनाव करने में ही बेहतरी है। इन लोगों को खास खुशी तब हुई जब पोटा रद्द हुआ। लेकिन इसकी खुशी के नशे में वे ऐसा चूर हुए कि संप्रग सरकार को गुपचुप तरीके से अपने इरादे जाहिर करने का मौका मिल गया। अभी संप्रग सरकार का गठन हुए आधा साल भी पूरा नहीं हुआ था कि "आतंकवाद" का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने के बहाने से पोटा की खाली जगह भरने वाला कानून लाने की घोषणा कर दी गई। सितम्बर में सरकार ने घोषणा की कि वह एक अध्यादेश लाकर **गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून** 1967 में संशोधन करेगी। प्रस्तावित संशोधन में 'आंतकवाद' शब्द को पुन: परिभाषित और विस्तारित किया जाएगा और राष्ट्रविरोधी (?) गतिविधियों में शामिल लोगों को मौत तक की सजा देने का प्रावधान किये जाने की घोषणा की गयी थी। नतीजतन, सरकार ने अगले ही महीने गैरकानूनी गतिविधियाँ निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित कर दिया। गौरतलब है कि इस नए अध्यादेश में पोटा के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर आज तक जितने कानून आए हैं वे अपने पूर्वजों से ज्यादा दमनकारी रहे हैं। पूँजीवादी व्यवस्था जैसे-जैसे अपने सभी "कल्याणकारी" मुखौटों को उतार रही है वैसे-वैसे उसे जनविद्रोह से निपटने के लिए अपने आपको अधिक से अधिक चाक-चौबन्द करने की जरूरत महसूस हो रही है। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती कानून टाडा में गिरफ्तार 76000 लागों में से सिर्फ 1 प्रतिशत सजा पाने योग्य पाए गए। मगर टाडा के खत्म होने के बाद भी हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी पोटा की भी रही। कश्मीर में पोटा सबसे पहले लागू हुआ। पी. डी. पी. की सरकार ने आते ही इसे हटाने का ढोंग रचा। मगर दो साल बीत जाने के बाद भी पोटा के तहत बन्द लोगों को रिहाई नहीं मिली। जो रिहा हुए वे संसदीय लुटेरों की जमात के लोग ही थे। बाकी रिहा लोगों को 'जनसुरक्षा अधिनियम' के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नए सूचना प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी ने साफ किया है कि पोटा के तहत चल रहे मुकदमे अपने आप रद्द नहीं होंगे और जिनको पोटा के तहत सजा मुकर्रर हो चुकी है वह कायम रहेगी। साफ है कि पोटा को हटाना एक ढोंग है। पोटा हट जाएगा तो कोई नया सोंटा शोषकों के हाथ में आ जाएगा। इस भ्रम से सभी जनपक्षधर शक्तियों को मुक्त हो जाना चाहिए कि संसदीय नामधारी वामपंथीयों के होने की वजह से, या किसी भी और वजह से संयुक्त प्रगतिशील (?) गठबंधन सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से कम दमनकारी होगी। उल्टे कोई वजह नहीं दिखती कि ऐसा न हो।

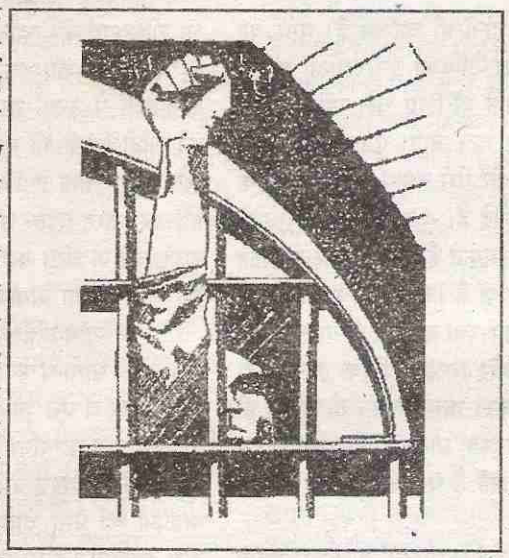

पाठक मंच

(पेज 4 से जारी)

करने की जो मुहिम आप चला रहे हैं मैं उससे प्रभावित हूँ और उससे जुड़ना चाहता हूँ। मैं अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक संगठन बना कर समाज-सेवा के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। अगर जयपुर में आपके संगठन की कोई शाखा कार्यरत हो तो मुझे सूचित करें।

अनुराग सिंह खंगारोत, बी-80/7, नित्यानन्दनगर, गांधी पथ, क्वीन्स रोड, जयपुर - 302021

प्रिय सम्पादक महोदय,

प्रथम बार मैंने आह्वान पढ़ा तो लगा कि हम कितने स्वार्थगत भावनाओं से ग्रस्त हैं, हमें सिर्फ अपने स्वार्थों की संकीर्ण चिन्ता रहती है। इन्हीं संकीर्णताओं की वजह से देश का राजनैतिक जीवन अंधकारमय होता जा रहा है। ऐसे में आह्वान एक सूर्य की तरह दिखता है। चन्दन का आत्मदाह, उत्तरांचल में फूटते छात्र आन्दोलन पढ़कर पता चला कि सबकुछ शांत नहीं है। हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ एक शोषणमुक्त स्वच्छ वातावरण में साँस ले सकें।

दीपेन्द्र प्रताप सिंह, 79, हिन्दू छात्रावास